तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/डिकी/9/2004/चित्तौड़गढ़ पेमा आदि बनाम मोती आदि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13-03-18	खण्डपीठ श्री वी0श्रीनिवास, अध्यक्ष, श्री श्याम लाल गूर्जर, सदस्य उपस्थितः— श्री पी0एस0दशोरा, अधिवक्ता अपीलार्थी। प्रत्यर्थी सं0 1 व 2 बावजूद तामील अनुपस्थित। —— निर्णय यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23—10—2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी/वादी ने उपखण्ड अधिकारी, बेगू के न्यायालय में एक वाद अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत पेश कर निवेदन किया कि मौजा मेघपुरा में स्थित आराजी खसरा नं0 987/852 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा भूमि वादी के नाम दर्ज है। इसी प्रकार खसरा नं0 849 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नं0 851 रकबा 10बिस्वा, खसरा नं0 853 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नं0 854 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा एवं 850 रकबा 10 बिस्वा कुल किता 5 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा प्रतिवादी सं0 1 के नाम अंकित है। उपरोक्त खातेदारी में दर्ज भूमि के अलावा पूर्व में आराजी खसरा नं0 847 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नं0 848 रकबा 12 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 2 बीधा भूमि वर्षो से वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 के कब्जे काश्त में चली आ रही है। इस प्रकार कुल 9 बीघा 7 बिस्वा भूमि में से 2 बीघा 12 बिस्वा भूमि वादी के नाम एवं मय चाह कुल 4 बीघा 15 बिस्वा भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम एवं 2 बीघा पर दोनों का कब्जा चला आ रहा था। उक्त सम्पूर्ण भूमि वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ने मिलकर बनाई है एवं शामलात में भी चाह का निर्माण करवाया है। दोनों भाईयों मध्य आपसी बंट हो रखा है, जिसके हिसाब से वे काबिज है।विभाजन अनुसार खसरा नं0 987/852 रकबा 2 बीधा 12 बिस्वा का निस्फ हिहस्सा, खसरा नं0 853 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नं0 854 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा का एक चक बनाकर वादी के हिस्से में रखा गया एवं चारों और पत्थर गाड़ दिए तथा आराजी	

Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/डिक्री/9/2004/चित्तौड़गढ़ पेमा आदि बनाम मोती आदि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खसरा नं0 849 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, आराजी खसरा नं0 851 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नं0 844, 847 एवं 848 की 2 बीघा भूमि प्रतिवादी सं0 1 के हिस्से में आई तथा आराजी चाह को शामिल रखा गया, जिससे दोनों भाई बारी–बारी पानी लेते रहे। नारायणदास के खाते अंकित भूमि खसरा नं0 844,847 एवं 848 कुल कता 3 रकबा 2 बीघा भूमि के संबंध में विवाद होने पर दावा चला, जिसमें प्रतिवादी सं0 1 ने पैसे लेकर उक्त भूमि नारायण दास के पक्ष में छोड दी, जिसकी रजिस्ट्री जमनालाल ने तुलसीराम प्रतिवादी सं0 2 को करवा दी। इस प्रकार प्रतिवादी सं0 1 के पास कम भूमि रह गई। चूँकि खाते में भूमि कम ज्यादा दर्ज हाने से प्रतिवादी सं0 1 के मन में बदनियति आ गई एवं वह मात्र अभिलेख के इन्द्राज का फायदा उठाकर आराजी खसरा नं0 853 व 854 को हड़पना चाहता है। प्रतिवादी सं0 1 मोती ने चाह में से निहित अपना हिस्सा तुलसीराम को बेचान कर दिया। चूँकि 853 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नं0 854 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा एवं खसरा नं0 957/852 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा का निस्फ हिस्सा जो कि वादी के हिस्से में आया है एवं जिस पर वादी तन्हा रूप से काबिज है, का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। उपखण्ड अधिकारी, बेगू ने वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी सं0 1 ने जवाबदावा पेश कर वाद को निरस्त करने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने वाद व जवाबदावे के आधार पर 9 तनकियात कायम की। बाद सुनवाई विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय वडिक्री दिनांक 06–05–2002 द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के न्यायालय में पेश की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 23–10–2003 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील मण्डल में पेश की गई है। हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी का मुख्य तर्क है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने में आदेश 41 नियम 31 सी0पी0सी0 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। उनका यह तर्क था कि आदेश 41 नियम 31 सी0पी0सी0 के प्रावधान अनुसार उनका यह दायित्व था कि वह अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का तनकीवार विवेचन कर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/डिक्री/9/2004/चित्तौड़गढ़ पेमा आदि बनाम मोती आदि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रत्येक तनकी को पृथक पृथक रूप से निर्णित करते। उनका तर्क था कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 का मौके पर कब्जा होने का प्रश्न पूर्णतया साबित था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी सं0 2 को वादी के विरूद्ध निर्णित करने में गंभीर त्रुटि की है एवं अधीनस्थ अपील न्यायालय ने उक्त तनकी के संबंध में अपना कोई निर्णय पारित ही नहीं किया। उनका यह भी तर्क था कि अधीनस्थ न्यायालयों ने तनकी सं0 3 का निर्णय वादी के विरूद्ध करने में त्रुटि की है जबकि उक्त तनकी में वादी ने स्पष्टया साबित किया था कि सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 मोती ने जो कि आपस में सगे भाई है, ने मिलकर प्राप्त की तथा दोनों ने मिलकर ही विवादित आराजी पर चाह का निर्माण करवाया। प्रतिवादी स्वंय ने अपने जवाबदावे में आराजी चाह को शामलाती बताते हुए उसका उपयोग उपभोग भी शामलात में किया जाना स्वीकार किया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्य का बिना विवेचन किए तनकी सं0 3, 4 व 5 वादी के विरूद्ध निर्णित की। उनका यह भी तर्क था कि विचारण न्यायालय ने तनकी सं0 6,7 व 8 का पृथक से कोई निर्णय पारित नहीं किया जबकि उनका विधिक दायित्व था कि वे आदेश 20 नियम 5 जा0दी0 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार उक्त तनकियों को निर्णत करते। अन्त में उन्होंने द्वितीय अपील स्वीकार कर अधीनस्थ अपील न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23–10–2003 व उपखण्ड अधिकारी,बेगू द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06–05–2000 को निरस्त किए जाने का निवेदन किया। हमने योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। विचारण न्यायालय द्वारा वाद एवं जवाबदावे के आधार पर 8 तनकियों निर्मित की गई थी और तनकीवार निर्णय के आधार पर वाद खारिज किया गया था। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने किसी भी तनकी पर कोई निष्कर्ष अंकित नहीं किया है ना ही विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,बेगूं द्वारा पारित निष्कर्षो के संबंध में कोई विवेचना की है। हमारी सुविचारित राय में प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय आदेश 41 नियम 31 सी0पी0सी0 के प्रावधान के पूर्णतया विपरीत है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/डिकी/9/2004/चित्तौड़गढ़ पेमा आदि बनाम मोती आदि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	चूँकि हम उक्त आधार पर प्रकरण को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते हैं, ऐसी स्थिति में अपील के गुणावगुण पर किसी प्रकार का विवेचन किया जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि इस संबंध में हमारे द्वारा कोई भी संप्रेषण पक्षकारान के हितों एवं अधीनस्थ न्यायालय के निष्कर्ष को प्रभावित कर सकता है। उपरोक्त विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में यह द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ का निर्णय व डिक्री दिनांक 23–10–2003 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ उन्हें प्रतिपेषित किया जाता है कि वे उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर आदेश 41 नियम 31 सी0पी0सी0 के प्रावधानों के अन्तर्गत विधि अनुरूप निर्णय पारित करें। निर्णय की सूचना विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को दी जावे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे एवं आगामी तारीख दिनांक 27–04–18 को राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष अपीलार्थी आवश्यक रूप से उपस्थित हों। पत्रावली निर्णीत इन्द्राज की जाकर अभिलेखागार में भिजवाई जावे। (श्याम लाल गूर्जर) सदस्य (वी0श्रीनिवास) अध्यक्ष	